संख्याः पी0सी0एच0–एच0सी0(10)1/2015(एफ0एफ0सी0)– 31811-900
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

निदेशक एवं पदेन सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171009.

प्रेषितः
1. समस्त सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांकः -10-07-2017

विषयः 14वें वितायोग के अन्तर्गत भारत सरकार से वितीय वर्ष 2017–18 की सामान्य अनुदान राशि की प्रथम किश्त का प्रेषण।

महोदय,

केन्द्र सरकार से **14वें वितायोग के अन्तर्गत** प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वितीय वर्ष 2017–18 में देय सामान्य अनुदान के रूप में प्रथम किश्त की राशि इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की समस्त 3226 ग्राम पंचायतों के खातों में दिनांक 03.07.2017 को ऑनलाइन जमा करवाई जा चुकी है इसकी सूचना आपको ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिस राशि का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है–

1	2	3	4	5	6	7
Sr. No.	**District**	**Population**	**90% Grant distribution on basis of population 2011**	**Area Sq. KM.**	**10% grant distribution on the Area basis**	**Total**
1	Bilaspur	356721	82002308	1144	3321763	85324071
2	Chamba	482894	111006704	6501	18876559	129883263
3	Hamirpur	423338	97316091	1089	3162064	100478155
4	Kangra	1377173	316581768	5444	15807412	332389180
5	Kinnaur	84121	19337567	6401	18586195	37923762
6	Kullu	405382	93188401	4968	14425280	107613681
7	Lahaul Spiti	31660	7277937	13841	40189272	47467209
8	Mandi	916767	210744560	3898	11318386	222062946
9	Shimla	619034	142302295	5049	14660475	156962770
10	Sirmaur	472227	108554596	2213	6425754	114980350
11	Solan	477321	109725594	1790	5197514	114923108
12	Una	472695	108662179	1491	4329326	112991505
Total:-		**6119333**	**1,40,67,00,000**	**53829**	**15,63,00,000**	**1,56,30,00,000**

उक्त विवरणिका अनुसार 90 प्रतिशत राशि सम्बन्धित पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत राशि क्षेत्रफल के आधार पर इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को आबंटित की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला/विकास खण्ड के अधीन पडने वाली ग्राम पंचायतों को इसे जिला योजना समिति/जिला परिषद द्वारा वर्ष 2017–18 की पात्र अनुमोदित योजनायों पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 37299–388 दिनांक 31.12.2015, पत्र संख्या 16835–20150 दिनांक 22.04.2016 व पत्र संख्या 27441–30756 दिनांक 27.05.2016 (प्रति संलग्न) को जारी मार्गदर्शिका में दर्शाए गए पात्र कार्यों पर ही वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त व्यय करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इस कार्यालय के पत्र दिनांक 06.04.2017 (प्रति संलग्न) जो समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि आपके कार्यालयों को पृष्ठांकित है में दिए गए दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को 14वें वितायोग के अर्न्तगत वर्ष 2015–16 व 2016–17 में ग्राम पंचायतों को जारी की गई अनुदान राशि से करवाए गए कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का आयोजन कर पंचायतों द्वारा करवाए गए कार्यों की समीक्षा कर रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें ताकि दोंनो समितियों से प्राप्त रिपोटों को राज्य स्तरीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 1034–4350 दिनांक 13–04–2017 (प्रति संलग्न) के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों को 14वें वितायोग के तहत निष्पादन अनुदान जारी करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये गए है जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों को यह अनुदान जारी करने हेतु उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र पर 31.07.2017 तक आवेदन किया जाना आवश्यक है जिसके दृष्टिगत आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप अपने जिला/खण्ड के अधीन पडने वाली ग्राम पंचायतो से विहित प्रपत्र पर वांछित आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि केन्द्र सरकार से वर्ष 2017–18 के द्वौरान देय निष्पादन अनुदान प्राप्त होने पर उसे निश्चित अवधि के भीतर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के खातों मे जमा करवाना संभव हो सके।

भवदीय,

R. Selvam

निदेशक एवं पदेन सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।

संख्याः पी0सी0एच0–एच0सी0(10)1/2015(एफ0एफ0सी0)–31901-32003 दिनांकः, - 10-07-2017

प्रतिलिपिः–

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
2. समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/पंचायत समिति हिमचाल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा को इस आश्य सहित कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का ब्यौरा विभागीय बेबसाइट पर समस्त ग्राम पंचायतो के पदाधिकारियों/सचिवों की जानकारी हेतु शीघ्र अपलोड करना सुनिशिचत करें।

R. Selvam 7/7/17

निदेशक एवं पदेन सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।